भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-310

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि का आवंटन

*310. **डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:**

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि का विशेषकर महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवंटित धनराशि का अल्प-उपयोग किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान अवसंरचना, शिक्षकों के वेतन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और स्कूल यूनिफार्म पर अलग-अलग व्यय की गई निधियों/धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार शिक्षा उपकर के माध्यम से कुल कितनी धनराशि संगृहीत की गई और कितनी धनराशि का संवितरण/उपयोग किया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि का आवंटन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे और श्री निलेश ज्ञानदेव लंके द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 310 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): समग्र शिक्षा के अंतर्गत मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती है। फिर इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है। ये निधियां कुछ शर्तों की पूर्ति, जैसे व्यय की गति, राज्य के आनुपातिक हिस्से की प्राप्ति, लेखापरीक्षित लेखाओं, संचयी राज्य हिस्से का विवरण, शेष अग्रिमों का विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, वित्तीय प्रबंधन एवं क्रय नियमावली में यथानिर्धारित सूचना प्रस्तुत करने और पिछले वर्ष का लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की जाती हैं। निधियां जारी करते समय पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि को भी ध्यान में रखा जाता है। कुछ राज्य अपने व्यय की धीमी गति के कारण सभी किस्तें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

इस विभाग ने प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियाँ और डेटा प्रबंधन) प्रणाली शुरू की है। प्रबंध प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता समग्र शिक्षा के विभिन्न मध्यवर्तनों के अंतर्गत किए गए व्यय का अद्यतनीकरण है। इस उद्देश्य के लिए, समग्र शिक्षा के प्रमुख मध्यवर्तनों के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मासिक स्थिति प्रदर्शित करने के लिए प्रबंध प्रणाली में एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड बनाया गया है। योजनाओं की निगरानी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(घ): समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत अवसंरचना, शिक्षकों के वेतन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

गतिविधियाँ	2024-25	2025-26
बुनियादी ढांचा	196277.15	287194.70
शिक्षक का वेतन	1723439.79	1350868.60
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	255132.60	235322.84
निःशुल्क यूनिफॉर्म	384593.26	387101.53

स्रोत: प्रबंध पोर्टल।

(ङ): पिछले दो वर्षों में शिक्षा उपकर की वसूली का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	2024-25	2025-26
शिक्षा का कुल हिस्सा	63,252.86	65,890.50

संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाया गया उपकर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है तथा यह करों के विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होता है और तदनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद **270** के अनुसार संघ और राज्यों के बीच वितरित नहीं किया जाता है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए, प्राप्त धन का उपयोग आरक्षित निधियों अर्थात प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) के माध्यम से किया जाता है। पीएसके और एमयूएसके के इस्तेमाल का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

घटक	2024-25	2025-26
पीएसके	40,900.00	48,049.09
एमयूएसके	11,162.60	10,314.31

अनुलग्नक

"प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि का आवंटन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे और श्री निलेश ज्ञानदेव लंके द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 310 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

(रू लाख में)

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
		राशि	राशि	राशि	राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5073.49	4181.72	4821.05	4572.43
2	आंध्र प्रदेश	216172.01	177571.72	164241.95	114525.97
3	अरुणाचल प्रदेश	53346.08	64075.19	53983.80	20319.10
4	असम	224300.99	258737.87	162840.79	161758.85
5	बिहार	729964.95	747643.53	728342.81	597076.03
6	चंडीगढ़	12346.49	12333.96	13043.41	13114.19
7	छत्तीसगढ़	121913.73	155474.34	93503.03	119441.26
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	6389.79	7098.64	6636.58	6127.72
9	दिल्ली	44529.61	64458.83	56403.04	52381.00
10	गोवा	2461.79	2491.02	1807.12	1910.89
11	गुजरात	208113.95	221132.55	158868.75	189502.29
12	हरियाणा	78677.54	71316.27	49435.94	47081.78
13	हिमाचल प्रदेश	43944.49	50655.35	46273.48	39484.53
14	जम्मू और कश्मीर	123455.08	118010.78	101774.67	63353.30
15	झारखंड	207772.02	202379.18	130880.31	140734.59
16	कर्नाटक	136019.32	141992.64	148026.86	135924.84
17	केरल	46997.73	63221.08	48822.83	43889.10
18	लद्दाख	10813.99	6541.56	7978.98	8221.56
19	लक्षद्वीप	353.9	390.92	503.62	431.06
20	मध्य प्रदेश	454617.42	527596.08	385581.61	408796.11
21	महाराष्ट्र	184706.22	223942.54	168191.12	174464.85
22	मणिपुर	35185.07	41539.69	13177.27	14752.61
23	मेघालय	48142.14	37611.31	36016.11	34136.17
24	मिजोरम	21675.79	16358.71	14097.73	13101.28
25	नागालैंड	26263.09	12889.28	10975.62	9941.73
26	ओडिशा	280395.26	310475.88	236151.60	212358.86
27	पुदुचेरी	2421.92	1911.09	1764.57	1514.98
28	पंजाब	88650.97	85995.89	84952.97	73371.18
29	राजस्थान	446856.09	487102.12	401055.76	308147.68
30	सिक्किम	10615.81	6873.64	5952.52	4842.63
31	तमिलनाडु	245026.06	293752.55	193641.74	205944.27
32	तेलंगाना	144310.54	149182.11	115128.66	78010.51
33	त्रिपुरा	28006.52	31532.78	30807.34	20302.57
34	उत्तराखंड	53873.81	62967.28	44433.34	41072.35
35	उत्तर प्रदेश	1008290.47	960034.29	974212.01	889896.02
36	पश्चिम बंगाल	212040.43	221303.88	179987.50	214137.95
कुल		**5563724.56**	**5840776.28**	**4874316.47**	**4464642.24**
